

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०,
गांधी नगर रेल्वे स्टेशन के पास, जयपुर – 302015
फैक्स : 0141-2711075, 5105116, ईपीबीएक्स : 5108363-65
वेबसाइट : www.jaipurdairy.com

टेण्डर फार्म (बोलेरो/समकक्ष के अनुबन्ध के लिये तकनीकी निविदा –पत्र)

1. निविदा प्रस्तुत कर्ता का नाम
2. पिता/पति का नाम, पूर्ण पता मय
टेलिफोन नं० (यदि हो तो).....
3. अनुभाग/उपकेन्द्र का नाम (जहां वाहन लगाया जाना है)
4. विवरण, जिसके लिये निविदा प्रस्तुत की जा रही है।

- | | डीडी/पे ऑर्डर | दिनांक |
|---|---------------|--------|
| (अ) (1) टेण्डर फार्म फीस ₹ 500/–(प्रति वाहन) | | |
| (2) ईएमडी ₹ 8,000/– (प्रति वाहन)
(नये वाहन की कोटेशन देने पर ₹ 18,000/– प्रति वाहन) | | |
| (3) टेण्डर प्रोसेसिंग फीस ₹ 500/– (प्रति निविदादाता) | | |
| (ब) निविदादाता को फार्म फीस/ईएमडी/प्रोसेसिंग फीस के डी डी/बैंकर चैक/पे ऑर्डर
की डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त स्कैन की हुयी कॉपी अपलोड करानी होगी। | | |
5. इस वाहन का पूर्ण विवरण जो कि हमारे द्वारा अनुबन्धनीय कार्य तथा दुग्ध परिवहन आदि में प्रयुक्त/ उपयोग में लाया जावेगा, निम्नानुसार है :-

वाहन की किस्म	मैक/वर्ष 2015 एव बाद का	वाहन रजि० नम्बर	वाहन स्वामी का नाम व पूर्ण पता
---------------	-------------------------------	--------------------	--------------------------------------

वाहन के मूल प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतिलिपि साइट पर अपलोड करे एवं निविदा के समय मूल प्रमाण पत्र भी पेश करें।

6. इस निविदा में अंकित दरे दो वर्ष तथा अन्य निर्दिष्ट अवधि के लिये मान्य हैं।
7. वाहन का मैक/मॉडल वर्ष 2015 या बाद का होना चाहिये।
8. निविदादाता को अपने डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त स्कैन किये हुये निम्न दस्तावेज अपलोड करने होंगे—

- (i) समस्त टेण्डर फार्म मय नियम शर्ते।
- (ii) टेण्डर फीस/ईएमडी/टेण्डर प्रोसेसिंग फीस की डीडी की स्कैन की हुयी प्रतियाँ
(बिन्दु संख्या 4 के अनुसार)
- (iii) वाहन का मैक/वर्ष/रजिस्ट्रेशन/कोटेशन इत्यादि का पूर्ण विवरण की स्कैन की हुयी प्रति
(बिन्दु संख्या 4 के अनुसार)
- (iv) पैन कार्ड की स्कैन की हुई प्रति।

हस्ताक्षर अनुबन्धकर्ता

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, जयपुर

कृषक संगठन/तकनीकी आदान हेतु बोलेरो/समकक्ष वाहन सम्बन्धित निविदा/अनुबन्ध

- नोट – 1. ऐसा किये जाने की दशा में निम्नलिखित नियम एवं शर्तें लागू हुये माने जावेंगे।
2. उल्लेखित शर्तें किये जाने किराये पर मोबाईल जीप चलाने सम्बन्धी अनुबन्ध में सम्मिलित हुयी मानी जावेगी। अतः लिखित में किये जाने वाले अनुबन्ध प्रपत्र मे इन सभी शर्तों का पुनः उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं हैं।

निम्नलिखित शर्तें अनुबन्ध में अनुबन्ध किये जाने की दशा में सम्मिलित हुयी मानी जावेगी और इस प्रकार अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध के निष्पादन में निम्न शर्तें/नियम के पालन किये जाने के लिये बाध्य माना जावेगा।

नियम व शर्तें

1. ई-टेंडर प्रक्रिया के तहत अनुबन्धित दर ईन्टरनेट पर डाली जावें।
2. प्रस्तुत दरें किसी भी दशा में बदली न जावे एवं शब्दों में व अंकों में भरी जावे ।
3. निविदा उन्ही व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की जावे जिनके पास स्वयं के स्वामित्व बोलेरो/समकक्ष में 4 व्हीलर डीजल चालित वाहन हों अर्थात वह गाडी जो कि निविदा प्रस्तुतकर्ता इस निविदा के अन्तर्गत चलाने का इच्छुक हैं, उसका राजकीय रजिस्ट्रेशन निविदा प्रस्तुतकर्ता के ही नाम होना चाहिये। किन्तु फिर भी शर्तें को निरस्त किये जाने का संघ प्रशासन को अधिकार होगा।
4. निविदा प्रस्तुतकर्ता के विषय में समझा जावेगा कि उन्होनें सभी शर्तों को पूर्ण रूप से देख लिया है, संशय की दशा मे प्रबन्धक से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
5. निविदा प्रस्तुतकर्ता निविदा मे अपना पूर्ण पता/ टेलीफोन नं., मोबाइल नं० प्रस्तुत करेगा।
6. निविदायें स्याही से भरी जाना आवश्यक हैं।
7. निविदा प्रस्तुतकर्ता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करे। निविदा शर्तों पर हस्ताक्षर करना एवं निविदा के साथ संलग्न करना अत्यन्त आवश्यक है।
8. प्रबन्धक को प्रस्तुत की गई निविदाओं में से किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को चाहे वे निम्नतम स्तर की ही क्यों न हो, को बिना किसी कारण बताये अमान्य करने का अधिकार होगा।
9. निविदाप्रस्तुतकर्ता/अनुबन्धकर्ता/वाहन सम्बन्धित अधिकारी द्वारा दुग्ध समितियों पर से जाना होगा। वाहन का भुगतान संघ द्वारा निर्धारित स्थान में किलोमीटर पठन पर देय होगा तथा सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्देशित समय पर वाहन निर्दिष्ट स्थान पर रोका जाना होगा। रात्री विश्राम करने पर संघ द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

10. बोलेरो/समकक्ष वाहन चलाये जाने हेतु वाहन को प्रतिदिन कार्यालय द्वारा निर्देशित समय एवं स्थान पर मय ड्राईवर के पहुँचाना होगा।
11. पार्टी नं0 2 (वाहन मालिक) द्वारा एक अनुभवी चालक गाड़ी चलाने हेतु लगाना होगा जिसके पास अधिकृत ड्राइविंग लाइसेन्स होना आवश्यक है, चालक वाहन चलाते समय शराब का सेवन नहीं करता हो एवं व्यवहार अच्छा हो मान्य है। पार्टी नं0 2 (वाहन मालिक) बोलेरो/समकक्ष लगायेगा तथा नीचे लिखित शर्तों को पूर्ण करेगा।
 - (अ) गाड़ी की हालत का निर्णय पार्टी नं 1 (जयपुर दुग्ध संघ) का होगा तथा अन्तिम रूप से मान्य होगा।
 - (ब) गाड़ी सेल्फ स्टॉर्ट तथा दोनों वाईपर लगे होंगे एवं वाहन सही हालत में बन्द होगा, जिसके फाटक, सीट वगैरह सही स्थिति में होगी।
 - (स) गाड़ी के टायर अच्छी हालत में हो तथा साथ में स्टेपणी लगी हो
12. वाहन समय – समय पर प्रबन्धक द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार निर्देशित स्थान पर उपस्थित कर दिया जावेगा। यदि समय पर वाहन उपस्थित नहीं किया गया तो प्रबन्धक अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा ₹ 250/- प्रतिदिन जुर्माना लगाया जावेगा। यदि 30 मिनट तक वाहन नहीं पहुचता है तो संघ को पूर्ण अधिकार होगा वह अन्य वाहन की व्यवस्था बाजार दरों पर करें एवं इस प्रकार व्यवस्था में खर्च किया गया अधिभार/अतिरिक्त राशि में से उक्त राशि पार्टी नं 1 (जयपुर दुग्ध संघ) को वसूली का अधिकार रहेगा।
13. यदि बोलेरो/समकक्ष वाहन रास्ते में खराब हो जाती है तो ठेकेदार को वैकल्पिक व्यवस्था करना आवश्यक होगा। यदि मार्ग में अन्य वाहन की व्यवस्था की जाती है तो इस अस्थाई वाहन व्यवस्था में खर्च हुई समस्त राशि वाहन ठेकेदार से वसूल की जावेगी।
14. पार्टी नं0 1 (जयपुर दुग्ध संघ) को समय-समय पर पार्टी नं0 2 (वाहन मालिक) से दूसरे कार्य हेतु जैसे कि कृषक संगठन तथा अन्य योजना हेतु मंगाने पर यदि पार्टी नं0 2 (वाहन मालिक) गाड़ी नहीं भेजता है तो संघ को अन्य वाहन प्रबन्ध करने का हक होगा तथा उसका अधिभार पार्टी नं0 2 (वाहन मालिक) को देना होगा।
15. संघ द्वारा भेजा जाने वाला कोई भी सामान अथवा व्यक्ति वाहन में ले जाना अनिवार्य होगा अन्यथा संघ द्वारा निर्धारित जुर्माना वाहन मालिक से वसूली योग्य होगा।
16. ड्राईवर अथवा वाहन के किसी भी गलतियों /खामियों के परिणामों के सम्बंध में वाहन मालिक पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।
17. अनुबन्ध के द्वितीय पक्ष अर्थात् बोलेरो/समकक्ष वाहन मालिक को अनुबन्ध सफलतापूर्वक निष्पादन किये जाने की गारन्टी के रूप में संघ के पास नगद सिक्क्यूरिटी राशि ₹ 18,000/- (अंको में अठारह हजार रुपये) जमा करवाने होंगे।
18. अनुबन्ध के प्रथम पक्ष अर्थात् जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, जयपुर (संघ) द्वारा अनुबन्ध किया कार्य बोलेरो/समकक्ष वाहन किराये पर चलाये जाने हेतु प्रदान किये जाने आदि का निष्पादन करने के बाद भुगतान किया जावेगा। यह भुगतान संघ द्वारा निश्चित की

गई दर रूपये व पैसे मात्र (अक्षरे.....₹ पैसे) प्रति किमी वाहन उपयोग के आधार पर किया जावेगा। इस प्रकार भुगतान प्राप्त करने हेतु बोलेरो/समकक्ष वाहन मालिक, वाहन को संघ कार्यालय में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में माह का बिल प्रस्तुत करना होगा।

19. यह अनुबन्ध दो वर्ष की अवधि के लिये किया जावेगा। किन्तु संघ को यह अधिकार निहित होगा कि दो वर्ष की अनुबन्ध अवधि की समाप्ति के बाद 3-3 माह दो बार के लिए और बढ़ाये जाने का संघ को अधिकार होगा। कोई अनियमितता पाये जाने पर संघ को तत्काल प्रभाव से अनुबन्धित की गई अवधि के पूर्व भी अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा। बढ़ी हुयी अवधि के लिये भी शर्त यथावत लागू होगी।
20. इसी प्रकार अनुबन्ध के अन्तर्गत चलाये जा रहे वाहन के सम्बंध में दी गई सूचना/सूचनाओं में से किसी सूचना के गलत पाये जाने पर भी संघ को अनुबन्ध समाप्त कर दिये जाने का अधिकार होगा।
21. डीजल, पेट्रोल, ऑयल, चालक अथवा वाहन को चलाए रखने के लिए आवश्यक सभी साजो/सामान का मालिक को समय से पूर्व ही इन्तजाम करना होगा।
22. संघ की सेवाओं के दौरान वाहन मे अन्य सेवायें जैसे बाहरी सवारी बैठाना या बाहरी सामान ढोना आदि कार्य नहीं किया जावेगा ऐसा पाये जाने पर शिकायत पर प्रबन्धक को कार्यवाही करने/अधिभार लगाने का पूर्ण अधिकार होगा।
23. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात आपको संघ को नाम मात्र (नोमिनल) सदस्य बनना आवश्यक होगा जिस हेतु नाम मात्र सदस्य को ₹ 100/- का एक हिस्सा एव ₹ 10/- सदस्यता शुल्क जमा करवाना होगा। संघ के नये उपनियमों के अनुसार संघ नाम मात्र सदस्य पर उपनियमों के अनुसार संघ नाम मात्र सदस्य पर उपनियम की शर्तें लागू होगी।
24. वाहन का ठेकेदार बोलेरो/समकक्ष वाहन के माईलोमीटर को सही रखेगा, माईलोमीटर खराब होने की स्थिति मे तीन दिवस में सही कराना आवश्यक है यदि वाहन ठेकेदार किलोमीटर उक्त अवधि में सही नहीं करवायेगा तो पूर्व में रूट पर की गई यात्रा में से 20 प्रतिशत कटौती कर दी जावेगी। किलोमीटर यदि अधिक पठन दिखाता है तो संघ द्वारा नियुक्त कमेटी उसका सत्यापन करेगी और जो करेक्शन फैक्टर आवेगा,के अनुसार ही भुगतान किया जावेगा।
25. वाहन का निर्धारित समय पर निर्धारित स्थान पर पहुंचना आवश्यक है, वाहन देरी से आने पर निम्न प्रकार कटौती की जावेगी :-

अ- निर्धारित समय से आधा घन्टा विलम्ब ₹ 50/-

ब- निर्धारित समय से एक घन्टा विलम्ब ₹ 100/-

26. एक घण्टे वाहन लेट आने पर संघ द्वारा वाहन को अनुपस्थित माना जाकर ₹ 250/- का जुर्माना किया जावेगा तथा संघ उक्त वाहन को ड्यूटी पर लेने अथवा वापिस भेजने का निर्णय संघ के अधिकारी को होगा । वाहन की अनुपस्थिति की स्थिति में संघ को यह अधिकार होगा कि वह उक्त वाहन के स्थान पर अन्य वाहन की व्यवस्था करे तथा बाजार की दरों का अन्तर जिस पर वाहन की व्यवस्था होगी,की दर एवं अनुपस्थित वाहन की दर का अन्तर वाहन ठेकेदार के बिल से कटौती किया जावेगा
27. यदि वाहन रास्ते में खराब हो जाता है तो अनुबन्ध की शर्त के अलावा स्टॉफ को वापस मुख्यालय पर आने का किराया वाहन ठेकेदार से वसूल होगा ।
28. प्रथम सफल निविदादाता को अनुबन्ध सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण करने हेतु (जैसे सिक्यूरिटी जमा करवाना, अनुबन्ध पत्र भरना, गाड़ी के कागजात की फोटो प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिये) संघ द्वारा पत्र जारी किया जावेगा । इसके अन्तर्गत दी गई अवधि में उक्त कार्यवाही पूर्ण न करने की स्थिति में संघ में यह अधिकार निहित होगा कि सफल निविदादाता की जमा अर्नेष्ट मनी जब्त कर द्वितीय सफल निविदादाता को अनुबन्धित कर दिया जावेगा । सिक्यूरिटी राशि जमा करातजे समय वाहन मालिक को वाहन के मूल कागजात कार्यालय में दिखाने होंगे । गाड़ी के कागजात अनुबन्धकर्ता के स्वयं के नाम से मय पूर्ण विवरण टैक्स आदि के होने चाहिये ।
29. यदि अनुबन्धकर्ता, अनुबन्ध अवधि के मध्य में अनुबन्ध तोड़ता है तो संघ को यह अधिकार होगा कि अनुबन्धकर्ता की जमा सिक्यूरिटी राशि एवं देय अन्तिम बिल में से राशि अधिकतम ₹ 10,000/- अथवा अन्तिम दिनों का बिल जब्त कर अन्य व्यवस्था कर लेवे । संघ पार्टी नं0 2 (वाहन मालिक) को नोटिस देकर 15 दिन का समय देकर वाहन उपलब्ध कराने के लिये लिखेगा । इसके बाद भी वाहन भी वाहन उपलब्ध नहीं कराता हैं तो सिक्यूरिटी राशि जब्त कर ली जावेगी और नोटिस देने के बाद वाहन समयावधि में वापस उपलब्ध करा दिया जाता हैं तो इस अनुपस्थिति अवधि में संघ को हुई हानि एवं ₹ 250/- प्रतिदिन के अधिभार के साथ गाड़ी मालिक से कटौती की जावेगी ।
30. वाहन का बिल ठेकेदार द्वारा प्रतिमाह प्रस्तुत करने पर संघ द्वारा किराये का भुगतान माह में एक बार किया जावेगा । पेन नम्बर दिये जाने पर ही बिलों का भुगतान होगा ।
31. वाहन ठेकेदार व वाहन चालक का व्यवहार सही होना चाहिये अगर किसी के साथ अभद्र व्यवहार करेगा तो चालक को तुरन्त प्रभाव से हटाना होगा ।
32. वाहन ठेकेदार को लॉग बुक यात्रा करने वाले संघ के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा समय पर भरवाकर कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी ।
33. बोलेरो/समकक्ष वाहन का टैक्स/चालान इत्यादि वाहन मालिक द्वारा ही जमा करवाया जावेगा ।
34. अनुबन्ध किसी दूसरे को हस्तान्तरित नहीं होगा वाहन टैक्सी परमिट का मान्य होगा ।

35. संघ को अनुबन्धित वाहन में किसी कारणों से गम्भीर खराबी आ जाती हैं एवं वाहन मालिक अनुबन्धित वाहन की एवज में दूसरी गाड़ी लगाना चाहता हैं तो संघ प्रबन्धन की अनुमति आवश्यक हैं एवं संघ प्रबन्धन के निर्णयोपरान्त ही ऐसा करना सम्भव होगा।
36. यह कि अगर पार्टी नं0 2 (वाहन मालिक) के कर्मचारी पार्टी नं0 1 (जयपुर दुग्ध संघ) के कर्मचारी/अधिकारी से दुर्व्यवहार करेगा तो पार्टी नं0 1 (जयपुर दुग्ध संघ) को अधिकार होगा कि वह पार्टी नं 2 (वाहन मालिक) से तीन दिवस में उस व्यक्ति को हटवा दे और पार्टी नं0 1 (जयपुर दुग्ध संघ) स्वयं भी तथा कथित कर्मचारी के संघ क्षेत्र में प्रवेश पर पाबन्दी लगा सकेगी। किसी प्रकार से अभद्रव्यवहार की जानकारी सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा प्रशासन को लिखित में दी जावेगी। मामले की गम्भीरता को मद्देनजर करते हुये वाहन ठेकेदार पर जुर्माना भी किया जा सकेगा एवं ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकेगा।
37. वाहन ठेकेदार संघ के में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी से सम्बन्धित (पिता, पुत्र, पत्नी, सगा, भ्राता) नहीं होगा ऐसा पाये जाने पर वाहन ठेकेदार का ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा।
38. वाहन जयपुर दुग्ध संघ की दुग्ध समितियों/प्रस्तावित दुग्ध समितियों पर कार्यरत वैतनिक कर्मचारी का (पिता, पुत्र, पति, पत्नी, सगा, भ्राता) नहीं होगा।
39. पार्टी नं0 2 (वाहन मालिक) को कार्य ओदश प्राप्त करने से पूर्व स्थाई खाता संख्या (पैन नं0) प्रस्तुत करना होगा।
40. अनुबन्ध अवधि में किसी भी प्रकार का विवाद/मतभेद होने पर निपटारा पंच निर्णय द्वारा किया जावेगा एवं सोल पंच निर्णायक अध्यक्ष, जयपुर डेयरी होंगे। उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। किसी भी तरह की न्यायिक विवादों की दशा में न्यायाधिक क्षेत्र जयपुर होगा।
41. सरकार/तेल कम्पनियों द्वारा डीजल की दरों में परिवर्तन करने पर प्रत्येक माह की प्रथम दिनांक को जो भी डीजल की दर होगी, उसी के अनुसार उस माह के लिए परिवहन दर निर्धारित की जावेगी। संघ द्वारा उसके अनुसार बोलेरो/समकक्ष वाहन की 15 किमी/लीटर की दर से आनुपातिक बढोतरी/घटोतरी कर अनुपात में भुगतान किया जावेगा। यह शर्त अनुबन्ध प्रारम्भ होने के बाद डीजल की दरों में परिवर्तन पर ही प्रभावी होगी।
42. सफल निविदादाता सभी प्रकार की न्यायिक/सामाजिक बाध्यताये पूरी करने व समस्त एक्ट – ट्रांसपोर्ट/ईएसआई/पीएफ इत्यादि के प्रावधानों की पालना हेतु स्वयं जिम्मेदार होगा।
43. अनुबन्ध के दौरान अनुबन्धित वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर इससे सम्बन्धित समस्त जिम्मेदारी जिसमें पुलिस, बीमा एवं अन्य दायित्व वाहन मालिक का होगा। जयपुर दुग्ध संघ का इस हेतु कोई दायित्व नहीं होगा।

44. जयपुर दुग्ध संघ द्वारा भाड़ों के बिलों का भुगतान आरटीजीएस/बैंक एडवाईज द्वारा अदा किया जायेगा। उपर्युक्त भुगतान आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार स्रोत पर आयकर काटकर दिया जावेगा। वाहन सफल निविदादाता का होगा तथा उस वाहन के ड्राईवर, खलासी, पेट्रोल, डीजल, तेल व टूट फूट, परिचालन सम्बन्धी अन्य समस्त खर्चे, शास्तियां एवं दावों से सम्बन्धित समस्त खर्चे सफल निविदादाता को वहन करने होंगे।

45. सफल निविदादाता को –

- (I) बैंक का नाम
- (II) बैंक शाखा का नाम
- (III) बैंक खाता संख्या
- (IV) बैंक का आईएफएससी कोड आदि प्रस्तुत करना होगा।

46. जयपुर दुग्ध संघ को यह अधिकार होगा कि वाहन की आवश्यकता नहीं होने पर 07 दिवस के नोटिस पर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।

प्रचार-प्रसार वाहनों की सूची

क्र. सं.	उपकेन्द्र का नाम	वाहन का प्रकार	अनुबन्ध अवधि समाप्ति की दिनांक	किग्रा/ किमी	टेण्डर/ रिटेण्डर
1	उपकेन्द्र बिन्दायका प्रचार प्रसार वाहन द्वितीय	बोलेरो/समकक्ष	31.10.2017	प्रतिकिमी.	टेण्डर
2	उपकेन्द्र चाकसू प्रचार प्रसार वाहन	बोलेरो/समकक्ष	15.02.2017	प्रतिकिमी.	रिटेण्डर